के. राधाई

बनाम

सी. बी. आई., कोचिन यूनिट

सितंबर 28,2007

[सी. के. ठाकर और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

सेवा कानूनः

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; धारा 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू धारा 13 (2)/दंड संहिता, 1860; एसएस 420, 465, 468 और 471: भ्रष्टाचार - बैंक कर्मचारी ने कथित तौर पर धोखाधड़ी से बैंक खाते से कुछ राशि निकाली - निचली कोर्ट ने आरोपी-कर्मचारी को आईपीसी की धारा 420 और 468 और 1988 अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अपराध करने का दोषी पाया। तदनुसार उसे सजा सुनाई गई- अपील पर, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 420 और 1988 अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष कर दिया। लेकिन आईपीसी की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा में कोई कमी का आदेश नहीं दिया गया था - अपील पर, माना गया: तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, यदि अभियुक्त

की सजा आईपीसी की धारा 468 के तहत दो साल से घटाकर एक साल कर दी जाती है तथा दोषी ठहराया जाकर सजा बरकरार रखी जाती है, तो न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। -तदनुसार निर्देश जारी किए गए। सजा अपीलार्थी एक बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता ने बैंक में एक गलत बैंक खाता खुलवाया और धोखाधड़ी से 42,000/- रुपये की राशि निकाल ली। जांच के बाद, आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 471 और 420 के तहत दंडनीय अपराध करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1Xd) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत आरोप तय किए गए। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित कर दिया, दोषी ठहराया और धारा 420 और 468 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसे दो-दो साल के कठोर कारावास से गुजरने का आदेश दिया; धारा 465 और 471 आईपीसी के तहत छह-छह महीने का कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल का कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया गया। . व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) और आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा को घटाकर एक वर्ष करने की पुष्टि की। हालाँकि, आईपीसी की धारा

468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सजा में कोई कमी का आदेश नहीं दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत है।

आरोपी-अपीलकर्ता ने दलील दी कि हालांकि उच्च न्यायालय ने कुछ अपराधों के लिए मूल सजा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया है, तथापि, उस पर लगाई गई दो साल की सजा जस की तस बनी हुई है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सजा में कोई कमी नहीं की गई है। आईपीसी की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध का आदेश दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई दो साल की सजा यथावत बनी रही।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का विचार था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, इसने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की। हालाँकि, इसने अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को कम करके विवेक का प्रयोग किया। ठीक इसी वजह से उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा को दो साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया। चूंकि आईपीसी की धारा 468 का कोई उल्लेख नहीं था,

इसलिए अपीलकर्ता को दी गई दो साल की सजा जस की तस बनी हुई है। [पैरा 8] [384-सी-डी]

1.2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यदि अपीलकर्ता-अभियुक्त की आईपीसी की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है, लेकिन उक्त अपराध के लिए उस पर लगाई गई मूल सजा को दो साल से एक वर्ष तक कम कर दिया जाता है, तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। [पैरा 9] [384-ई]

1.3. अपीलकर्ता-अभियुक्त, जिसे भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, को एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुजरने का आदेश दिया जाता है। [पैरा 10] [384-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1303/2007

1997 की आपराधिक अपील संख्या 9 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2006 से।

अपीलार्थी के लिए रोमी चाको।

प्रतिवादी की ओर से पी. परमेश्वरन।

न्यायालय का फैसला सी.के.ठाक्कर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपील केरल उच्च न्यायालय द्वारा 12 अक्टूबर, 2006 को आपराधिक अपील संख्या 9, 1997 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ दायर की गई है। उक्त अपील के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की किंतु विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), एर्नाकुलम की अदालत द्वारा 27 दिसंबर 1996 की सजा कोकम कर दी।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि अपीलकर्ता त्रिवेन्द्रम की फोर्ट शाखा में सिंडिकेट बैंक में क्लर्क के रूप में कार्यरत था। अभियोजन पक्ष का मामला था कि उक्त शाखा में खाता संख्या 15799 के साथ एक गलत बैंक खाता खोला गया और आरोपी द्वारा धोखाधड़ी से 42,000/- रुपये की राशि निकाल ली गई। जांच के बाद, विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एर्नाकुलम की अदालत में आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465, 468, 471 और 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किया गया।

4. विशेष न्यायाधीश ने, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद, आरोप साबित कर दिया, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और धारा 420 और 468 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दो-दो साल के कठोर कारावास प्रत्येक को, और आईपीसी की धारा

465 और 471 के तहत छह महीने के कठोर कारावास की सजा देने का आदेश दिया, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(एल)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल का कठोर कारावास का आदेश दिया। न्यायालय द्वारा जुर्माना भी लगाया गया।

5. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराने और उसे दोषी ठहराने में कोई अवैधता नहीं की गई थी। हालाँकि, सजा के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने फैसले के ऑपरेटिव भाग में कहा:

> "अंतिम प्रश्न सज़ा के संबंध में है। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कथित अपराध 1993 में हुआ था और पैसा एक भयावह स्थिति के दौरान लिया गया था जैसा कि प्रदर्शपी 19 में बताया गया है। आगे कहा गया है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए उसे अपने बच्चों का भरण-पोषण करना होगा, साथ ही उसके द्वारा किए गए कदाचार के कारण उसकी नौकरी भी चली गई और इस पर

नरम रुख अपनाया जा सकता है। इन सभी परिस्थितियों को एक साथ ध्यान में रखते हुए, धारा 13(2) सपठित धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो-दो साल की कैद की सजा को एक वर्ष के कारावास की सजा में कम किया जाता है। अन्य अपराधों के लिए लगाए गए जुर्माना या सजा के संबंध में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कारावास की सज़ा एक साथ चलेगी।"

6. अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय पहुंचा है। 9 मार्च 2007 को, जब मामले को एडमिशन सुनवाई के लिए बुलाया गया, विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि हालाँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई दो साल की कैद की सजा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया था तथा आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल की कैद की सजा को भी दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया, जहां तक आईपीसी की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, सजा में कमी का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने कुछ अपराधों के लिए अपीलकर्ता-अभियुक्त की वास्तविक सजा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया

था, अपीलकर्ता-अभियुक्त पर लगाई गई दो साल की सजा इस तथ्य के मद्देनजर यथावत बनी हुई है कि आईपीसी की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, कोई कटौती का आदेश नहीं दिया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा जस की तस बनी रही। इसलिए, अदालत द्वारा केवल सजा कम करने के सवाल पर नोटिस जारी किया गया था।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हमारी राय में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील अच्छी तरह से स्थापित है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का विचार था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, इसने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की। हालाँकि, इसने अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को कम करके विवेक का प्रयोग किया। ठीक इसी वजह से उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा को दो साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया। चूंकि आईपीसी की धारा 468 का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता को दी गई दो साल की सजा जस की तस बनी हुई है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हमारी राय में, यदि आईपीसी की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता-

अभियुक्त की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है लेकिन उक्त अपराध के लिए उस पर लगाई गई मूल सज़ा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया जाता, तो न्याय का उद्देश्य पूरा होगा।

10. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जानी चाहिए और तदनुसार उस हद तक स्वीकार की जाती है, जब तक आईपीसी की धारा 468 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि हो जाती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मूल सजा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता-अभियुक्त, जिसे भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, को एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया है। ऊपर बताई गई सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी शांतनु सिंह खांगारोत, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।